न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 135 / 2022

प्रार्थीगण :–

1. तुम्बाराम पुत्र धमाराम
2. मेहताराम पुत्र बागाराम
   जाति जाट निवासी तेजियावास तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. अचलाराम पुत्र अमराराम
2. कोजाराम पुत्र मूलाराम
3. खुमाराम पुत्र अमराराम
4. गोरधनराम पुत्र मूलाराम
5. चूनाराम पुत्र अमराराम
6. धनीदेवी पत्नी मूलाराम
7. पनीदेवी पत्नी अमराराम
8. भीखाराम पुत्र मूलाराम
9. मगाराम पुत्र भगाराम
10. मदाराम पुत्र भगाराम
11. लिखमाराम पुत्र मूलाराम
12. सताराम पुत्र भगाराम
13. हनुमानराम पुत्र अमराराम
14. हरजीराम पुत्र भगाराम
15. कुम्भाराम पुत्र दूदाराम
16. दूदाराम पुत्र भींयाराम
17. जोराराम पुत्र पूराराम
18. दलाराम पुत्र पूराराम
19. वीरमाराम पुत्र चैनाराम
20. शम्भूराम पुत्र चैनाराम
21. चिमनाराम पुत्र बागाराम
    जाति जाट निवासी तेजियावास तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित

1. **श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण**
2. **विप्रार्थीगण – एकतरफा**

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11.10.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, [illegible] [illegible]ईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। [illegible] विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नो[illegible] तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:55:33 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री चिमनसिंह चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2073-2076 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) में स्थायी सरहद मौजा तेजियावास के खेत खसरा नम्बर 114/13 रकबा 7.4057 हैक्टेयर किस्म बा. दोयम का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पड़ौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की मेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा तेजियावास के खेत खसरा नम्बर 114/13 रकबा 7.4057 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/- शुल्क पर कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक ...11.10.22... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.11.07 13:55:33 IST
Reason: SelfAttested